सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 283 राँची ,मंगलवार 15 वैशाख, 1937 (श०)
5 मई, 2015 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

30 अप्रैल, 2015

विषय: सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के आप्त सचिवों को अकार्यात्मक वेतनमान से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 283/वि॰ दिनांक 27 जनवरी, 2014 में संशोधन के संबंध में ।

संख्या -6/एस-4(वे॰पु॰)-05/2013/1269/वि०-- वित्त विभागीय संकल्प संख्या 283/वि॰ दिनांक 27 जनवरी, 2014 के द्वारा आप्त सचिव के लिए चार वर्ष कालावधि पूर्ण होने पर अकार्यात्मक वेतनमान - ग्रेड पे रु॰ 5400/- रुपये स्वीकृत किया गया है। तदुपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2557/वि॰ दिनांक 18.07.2014 की कंडिका-4() में वैसे प्रशाखा पदाधिकारी जो सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि (8 वर्ष) एवं अकार्यात्मक ग्रेड पे (- ग्रेड पे रु॰ 5400/-) के लिए निर्धारित कालावधि (4 वर्ष) अर्थात् कुल 12 वर्ष से अधिक की समयावधि सहायक के रूप में व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने की तिथि से अगले एक वर्ष की अन्यून सेवापूर्ण करने की तिथि से अकार्यात्मक वेतनमान (- ग्रेड पे रु॰ 5400/-) अनुमान्य होगा, प्रावधान किया गया है। परन्तु आप्त सचिवों के मामले में उक्त प्रावधान नहीं किया जा सका था क्योंकि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2557/वि॰ दिनांक 18 जुलाई, 2014 बाद में निर्गत किया गया है ।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत प्रशाखा पदाधिकारी एवं आप्त सचिवों को अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति के लिए समान मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए आप्त सचिवों को भी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2557/वि॰ दिनांक 18 जुलाई, 2014 की कंडिका-4() के अनुरूप वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है:-

वैसे आप्त सचिव जो निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि (8 वर्ष) एवं अकार्यात्मक ग्रेड पे (- ग्रेड पे रु॰ 5400/-) के लिए निर्धारित कालावधि (4 वर्ष) अर्थात् कुल 12 वर्ष से अधिक की समयावधि निजी सहायक के रूप में व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने की तिथि से अगले एक वर्ष की अन्यून सेवा पूर्ण करने की तिथि से अकार्यात्मक वेतनमान (- ग्रेड पे रु॰ 5400/-) अनुमान्य होगा ।

3. अकार्यात्मक वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से प्रभावी होगा तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्त्तें यथावत् लागू रहेंगे।

4. महँगाई भत्ता को छोड़कर अन्य देय भत्ते दिनांक 01 जनवरी, 2014 से लागू होंगे ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1110/वि॰ दिनांक 20 अप्रैल, 2015 के क्रम में दिनांक 28 अप्रैल, 2015 की बैठक के मद सं॰ 11 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 283—50 ।